

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

राजेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अन्तर्गत 88, 188, 92ए आरटीए मुकदमा नं. 05/2019

निर्णय दिनांक :-15.09.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर व हाजरी अधिवक्ता वादी श्री रामदास सौलकी पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री  
दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान कायतकारी अधिनियम  
1955 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 23 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता  
72 के खाता संख्या 18 व 22 में लूणा राम पुत्र नत्थूराम के नाम दर्ज कुल 0.543 हैक्टर नहरी  
बारानी मय खाला भूमि का खातेदार वादी राजेश कुमार दत्तक पुत्र लूणाराम जाति बावरी निवासी 23  
ओ को घोषित किये जाने के आदेश दिए जाते है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया  
जावे।

आज दिनांक 15/09/21..... को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व  
न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/330  
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

श्री करणपुर

दिनांक: 15/09/21

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

श्री करणपुर

